कार्यालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां, जिला बारां (राज0)

क्रमांकः— स्टेनो/प्रशा./2026/25 दिनांक :—27.08.2026

—::संशोधित कार्यालय आदेश::—

मैं अभय बंसल, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां एतद्द्वारा धारा 12 व 13 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक कारणों से इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक स्टेनो/प्रशा./2026/23 दिनांक 31.07.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए तथा दिनांक 29.08.2026 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 09/ई.वी./2026 दिनांक 25.08.2026 द्वारा राजकीय अवकाश घोषित हो जाने के कारण निम्न तिथियों में, आवश्यक प्रकृति के दाण्डिक कार्य जैसे बेल, रिमाण्ड, सुपुर्दगी, मृत्युकालिन कथन आदि कार्य हेतु, निम्न न्यायिक अधिकारीगण का कार्य उनके मुख्यालय पर नियत करता हूं।

क्र0 सं0	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम	मुख्यालय का नाम	मोबाईल नं0
01	28.08.2026 29.08.2026	श्री शारिक हुसैन	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छीपाबड़ौद	मो0नं0—9828080831
02	30.08.2026	शाहिस्ता लोधी	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू	मो0नं0—9529155244

नोटः—

1. प्रत्येक उक्त न्यायिक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य के निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां को सूचना दिये अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। किसी विशेष परिस्थितियों में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां, जिला बारां व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां, जिला बारां से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव देते हुए, अपना मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

2. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किए गए थे।

3. उपरोक्त के अलावा संबंधित थानाधिकारी अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, यदि वह अपने मुख्यालय पर मौजूद है, से भी रिमाण्ड आदि ले सकेंगे।

(अभय बंसल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां (राज0)
(लिंक अधिकारी)

क्रमांक :— 1326 दिनांक :— 27.08.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां, जिला बारां
2. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित कर लेख है कि बारां जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
3. थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां।
4. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, बारां को बारां न्याय क्षेत्र की Website-baran.dcourt.gov.in पर इस आदेश को अपलोड व बारां न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों में ई—मेल करने हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

(अभय बंसल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां (राज0)
(लिंक अधिकारी)